

परियोजना का नाम:—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 93/2005 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर की पत्र संख्या—135/12-1 दिनांक 13.07.2021 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रमाण-पत्र कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 93/2005 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.665 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावित स्थल की दूरी नैनादेवी कन्जरवेशन रिजर्व से 2.4 कि0मी0 है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्तपरियोजना निर्माण हेतु जनहित में सहमति व्यक्त की जाती है।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0-0135-2742884 फैक्स-2745691 ई-मेल—cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 170 /12-1 देहरादून दिनांक 19 जुलाई 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, रामनगर।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।